न्यायालय लेण्डरिकोर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी – दिवांशु शुर्मा आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 1004 / 2018

दायर दिनांकः– 08 / 10 / 2018

निर्णय दिनांकः– 29 / 11 / 2019

अनवान

1. महरबान खां पिता अहमद खां निवासी जगपुरा जिला राजसमंद

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भु. राजस्व अधिनियम

: : **निर्णय** : :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम जगपुरा पटवार हल्का पनोतिया तहसील रेलमगरा में वर्तमान खाता संख्या 134 में कृषि आराजी संख्या 121 रकबा 02–10 बिघा भूमि स्थित हैं। तथा वर्तमान खाता संख्या 16 मे आराजी संख्या 222 रकबा 03 आ. चाह स्थित है। इसी प्रकार वर्तमान खाता संख्या 38 में कृषि आराजी संख्या 08 रकबा 01–08 बिघा आराजी संख्या 12 रकबा 00–02, आराजी संख्या 13 रकबा 01–15, आराजी सख्या 14 रकबा 01–15, आराजी संख्या 137 रकबा 00–12, आराजी संख्या 214 रकबा 01–10, आराजी संख्या 215 रकबा 00–17, आराजी संख्या 216 रकबा 00–10, आराजी संख्या 217 रकबा 00–14, आराजी संख्या 218 रकबा 01–02, आराजी संख्या 219 रकबा 00–11, आराजी संख्या 220 रकबा 00–18 व आराजी संख्या 221 रकबा 00–11 कुल किता 13 कुल रकबा 12–05 बिघा भुमि स्थित है। इसी प्रकार वर्तमान खाता संख्या 62 में अंकित आराजी संख्या 11 रकबा 00–03 आ0 चाह के रूप में स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है उक्त भुमियों के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्से में कालेखां, मुनीर खां पिता अहमद खां का नाम खाता सख्या 134 में दर्ज है। तथा 1/2 हिस्से के रूप में ही खाता संख्या 16 में अंकित भुमि में काले खां, मुनीर खां

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पिता अहमद खां का नाम दर्ज होकर खाता सख्या 38 में काले खां, मुनीर खां पिता अहमद खां का नाम 1/3 हिस्से में एवं खाता संख्या 62 में अंकित भुमि में कालेखां, मुनीर खां पिता अहमद खां का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज है जो स्थिति वर्तमान राजस्व रेकार्ड में स्पष्ट अंकित है। प्रार्थी महरबान खां एवं मुनीर खां दोनो सगे भाई होकर अहमद खां के दोनो ही पुत्र वैध वारिस है किन्तु जब अहमद खां प्रार्थी के पिता की मृत्यु हुई तब उनके विरासत के नामान्तरणकरण दिनांक 25.10.1977 में राजस्व अधिकारी उपतहसीलदार महोदय, रेलमगरा द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 44 को गलत तरीके से निर्णित कर प्रार्थी मेहरबान खां का नाम उसके गांव में बोलते हुए नाम कालेखां नाम से निर्णित कर दिया गया तथा इसी नाम से पटवारी ने भी उक्त नामान्तरण पिता के विरासत में दर्ज कर लिया गया जबकि काले खां प्रार्थी का ही बोलता हुआ होकर उसका वास्तविक रेकार्डेड नाम महरबान खा ही है तथा इसी नाम से प्रार्थी महरबान खां के समस्त दस्तावेज वोटर कार्ड व आधार कार्ड आदि बने हुए है जिससे राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी का नाम गलत तरीके से महरबान खां की जगह काले खां नाम दर्ज कर देने से उसे दुरस्त किया जाकर उसकी जगह सही इन्द्राज के रूप में जहां जहां काले खा के वारिस के रूप में मुनीर खां के साथ दर्ज है वहा वहा काले खां की जगह प्रार्थी अपना सही नाम महरबान खां दर्ज कराना चाहता है। इस हेतु उक्त त्रुटी सुधार हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।उक्त भुमियों के तत्कालीन खाता संख्या 33 में रकबा 02–13 बिघा तथा तत्कालीन खाता संख्या 40 रकबा 12–05 बिघा एवं तत्कालीन खाता संख्या 41 रकबा 00–03 आ0 चाह दर्ज है जो खाता संख्या एवं आराजी संख्या प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज एवं नामान्तरणकरण संख्या 44 से स्पष्ट है जिससे प्रार्थी राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई भुल को सुधार किये जाने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र माननीय आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है स्वर्गीय अहमद खां के विधिक वारिस हम दोनो ही भाई के रूप में महरबान खां व मुनीर खां ही है जिसमें से मुनीर खां की भी वर्तमान में मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान उनकी जगह वैध वारिस प्रतिस्थापित है किन्तु प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से उसके नाम में संशोधन कराया जाकर काले खां की जगह प्रार्थी अपना सही नाम महरबान खां दर्ज कराना चाहता है इस सम्बंध में ग्राम पंचायत पनोतिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे भी उपरोक्त स्थिति स्पष्ट उजागर होती है। प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज की पुर्व में कोई जानकारी नहीं थी जब वर्ष 2018 में राजस्व केम्प आयोजित हुए तब प्रार्थी द्वारा विभाजन की कार्यवाही करवानी चाही तो राजस्व केम्प के दौहरान ही उक्त गलत नाम दर्ज होने की जानकारी प्रार्थी को प्राप्त हुई तब प्रार्थी ने कैम्प के दौरान भी जुन 2018 में उक्त इन्द्राज दुरस्त करने बाबत कैम्प अधिकारी के

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया किन्तु प्रभारी अधिकारी ने उक्त आवेदन दुरस्ती बाबत मंजुर नहीं कर उक्त आशय का संशोधन आप न्यायालय के माध्यम से कराये जाने के लिये निर्देशित किया गया एंव रेवेन्यु अधिकारी द्वारा तथा तहसीलदार महोदय, रेलमगरा द्वारा उक्त संशोधन करने आज से एक माह पुर्व साफ इन्कार कर दिया जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतु आज से एक माह पुर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम जगपुरा की वर्तमान आराजी संख्या 121, 122, 8, 12, 13, 14, 137, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 11 के राजस्व रेकार्ड में काले खां, मुनीर खां पिता अहमद खां के बजाय सही नाम महरबान खां, मुनीर खां पिता अहमद खां नाम दुरस्त कर उक्त आशय का अंकन जहा जहा काले खां का नाम अहमद खां के पुत्र के रूप में दर्ज है वहा वहा प्रार्थी महरबान खां का नाम अंकित फरमाया जावें एवं उक्त आशय की त्रुटी को सुधार किया जाने का आदेश बक्षाया जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया विपक्षी की ओर से जरिये परोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया की प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित तथ्य राजस्व रेकार्ड अुनसार है। कॉलम संख्या 02 में वर्णित तथ्य रेकार्ड अुनसार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 03 में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 04 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 05 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 06 में वर्णित तथ्य में अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थी के नाम भूमि विरासत से सन 1977 में दर्ज हुई है जिसकों करीब 40 वर्ष पुर्ण हो चुके जो प्रार्थना पत्र बैरूनमयाद है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 07 एवं 08 कानुनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है विशेष कथन के रूप में निवेदन है कि प्रार्थना पत्र संशोधन हेतु 40 वर्ष के बाद पेश किया जा रहा है तथा भुमि प्रार्थना पत्र में दर्शायी गई है जो संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। जिससे प्रार्थना पत्र में सह खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है चुंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जानकारी सहखातेदारों को पुर्ण रूप से होती है। साथ ही निवेदन है कि प्रार्थना पत्र काफी वर्षो के बाद पेश किया गया है जो बैरूनम्याद है ऐसी स्थिति में भी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सरकार से सम्बधिंत नहीं होकर सहखातेदारों की सहमति से प्रार्थी स्वत्वघोषणा के माध्यम से राहत प्राप्त कर सकता है। कृपया प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

बहस सुनी गई। दोराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया की महरबान खां व मुनीर खा दोनो एक ही नाम का व्यक्ति है तथा पहले नामान्तरणकरण मुनीर खां के नाम से दर्ज हुआ दस्तावेज महरबान खां के नाम से दर्ज है। तथा ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया की महरबान खां व मुनीर खां दोनो ही नाम का एक ही व्यक्ति है। जिससे दुरस्त करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में मुनीर खां की जगह महरबान खां का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कराये जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया की प्रार्थी के नाम भुमि विरासत से सन 1977 में दर्ज हुई जिससे 40 वर्ष से अधिक का समय व्यतित हो चुका है तथा सह खातेदार भी आवश्यक पक्षकार थे जिन्हे भी सुना जाना आवश्यक था ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भु राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत न कर स्वत्व घोषणा एवं इन्द्रांज दुरस्ती का दावा प्रस्तुत करना चाहिए था ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भु राजस्व अधिनियम का मयाद बहार होने से अस्वीकार होने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिवांशु शर्मा
लेण्ड रिकॉर्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा